

प्ररूप- 7

[नियम 11(3), 13(7)(vi), 13(8)(iii), 19(4), 19(17), 62(6)(vii), 62(6)(x), 69 I (3)]

वैयक्तिक देखरेख योजना (वै.दे.यो.)

कानून का उल्लंघन करने वाला बालक/देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता रखने वाला बालक
(जो लागू हो उसे सही करें)

मामला कार्यकर्ता/बाल कल्याण अधिकारी/परिबीक्षा अधिकारी का नाम.....

वै.दे.यो. तैयार करने की तारीख.....

20.....का मामला/प्रोफाइल संख्या.....

प्र.सू.रि. संख्या

धारा के अंतर्गत (अपराध का प्रकार), कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामलों में लागू.....

पुलिस स्टेशन.....

बोर्ड अथवा समिति का पता.....

भर्ती संख्या (यदि बालसंस्था में है).....

भर्ती की तारीख (यदि बालसंस्था में है).....

बालक का प्रवास (जैसा लागू हो, भरें)

- I. अल्प कालिक (6 मास तक)
- II. मध्यम कालिक (6 मास से एक वर्ष)
- III. दीर्घकालिक (1 वर्ष से अधिक)

क. व्यक्तिगत ब्यौरे (संस्था में बालककी भर्ती पर बालक/माता-पिता/दोनों द्वारा उपलब्ध कराया जाए)

1. बालक का नाम
2. आयु/जन्म की तारीख.....
3. लिंग: बालक/बालिका.....
4. पिता का नाम :.....
5. माता का नाम :
6. राष्ट्रियता.....
7. धर्म.....
8. जाति.....
9. बोली जाने वाली भाषा.....
10. शिक्षा का स्तर.....
11. बालक के बचत खाते के ब्यौरे, यदि कोई हों
12. बालक की आय तथा समान के ब्यौरे, यदि कोई हों.....
13. बालक द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कारों/इनामों के ब्यौरे, यदि कोई हों.....
14. मामला पूर्ववृत्त, सामाजिक जांच रिपोर्ट तथा बालक के साथ बातचीत के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित चिंता के क्षेत्रों तथा मध्यक्षेपों के ब्यौरे दें:

क्र.सं.	श्रेणी	चिंता के क्षेत्र	प्रस्तावित मध्यक्षेप
1.	देखरेख तथा संरक्षण से बालककी प्रत्याशा		
2.	स्वास्थ्य तथा पोषण जरूरतें		
3.	भावात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहायता जरूरतें		
4.	शैक्षिक तथा प्रशिक्षण जरूरतें		
5.	फुरसत, सृजनात्मक तथा खेल		
6.	आसक्ति तथा अंतर-वैयक्तिक संबंध		

7.	धार्मिक विश्वास		
8.	सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा तथा गलत बरताव से स्वयं देखरेख तथा संरक्षण के लिए जीवन-कौशल-प्रशिक्षण		
9.	स्वतंत्र आजीविका कौशल		
10.	अन्य ऐसा कोई महत्वपूर्ण अनुभव जैसे अवैध व्यापार, घरेलू हिंसा, पैतृक-उपेक्षा, स्कूल में भयभीत होना आदि जिसने बालक के विकास पर प्रभाव डाला हो (कृपया निर्दिष्ट करें)।		

ख. बालक की प्रगति रिपोर्ट (पहले 3 मास के लिए प्रत्येक पखवाड़े में तैयार की जाए तथा तत्पश्चात मास में एक बार तैयार की जाए)

[टिप्पण: प्रगति रिपोर्ट के लिए भिन्न-भिन्न शीट का प्रयोग करें]

1. परिचीक्षा अधिकारी/मामला कार्यकर्ता/बाल कल्याण अधिकारी का नाम.....
2. रिपोर्ट की अवधि.....
3. भर्ती संख्या.....
4. बोर्ड अथवा समिति.....
5. प्रोफाइल संख्या.....
6. बालक का नाम.....
7. बालक के रहने की अवधि (जैसा प्रयोज्य हो, भरे)
 - I. अल्पकालिक (6 मास तक)
 - II. मध्यम कालिक (6 मास से एक वर्ष)
 - III. दीर्घकालिक (1 वर्ष से अधिक)
8. साक्षात्कार का स्थान तारीख.....
9. रिपोर्ट की अवधि के दौरान बालक का साधारण आचरण तथा प्रगति
.....
.....
10. इस प्ररूप के भाग-क के बिंदु 14 में यथाउल्लिखित प्रस्तावित मध्यक्षेपों के संबंध में की गई प्रगति।

क्र.सं.	श्रेणी	प्रस्तावित मध्यक्षेप	बालक की प्रगति
1.	देखरेख तथा संरक्षण से बालक की प्रत्याशा		
2.	स्वास्थ्य तथा पोषण जरूरतें		
3.	भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहायक जरूरतें		

4.	शैक्षिक तथा प्रशिक्षण जरूरतें		
5.	फुरसत, सृजनात्मक तथा खेल		
6.	आसक्ति तथा अंतर-वैयक्तिक संबंध		
7.	धार्मिक विश्वास		
8.	स्वयं देखरेख तथा सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा तथा गलत बरताव से संरक्षण के लिए जीवन-कौशल-प्रशिक्षण		
9.	स्वतंत्र आजीविका कौशल		
10.	अन्य ऐसा कोई महत्वपूर्ण अनुभव जिसका बालक के विकास पर प्रभाव पड़ा हो, जैसे अवैध व्यापार, घरेलू हिंसा, चैतुक-उपेक्षा, स्कूल में भयभीत होना आदि (कृपया विनिर्दिष्ट करें)।		

11. समिति या बोर्ड अथवा बाल न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही।

- I. बंध-पत्र की शर्तों में फेरफार
- II. बालकके निवास में परिवर्तन
- III. अन्य मामले, यदि कोई है

12. पर्यवेक्षण की अवधिको पूरी की गई।

पर्यवेक्षण का परिणाम, टिप्पणी के साथ

माता-पिता अथवा संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति का नाम तथा पता जिसकी देखरेख में बालक को पर्यवेक्षण समाप्त होने के बाद रहना है

.....

रिपोर्ट की तारीख.....परिवेक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर.....

I. निर्मुक्त होने से पूर्व रिपोर्ट (निर्मुक्त होने से 15 दिन पूर्व तैयार की जाए)

1. स्थानान्तरण के स्थान के ब्यौरे तथा स्थानान्तरित स्थान निर्मुक्त करने में उत्तरदायी संबंधित प्राधिकारी
2. विभिन्न संस्थाओं/परिवार में बालक के स्थापन के ब्यौरे
3. लिए गए प्रशिक्षण तथा अर्जित कौशल
4. बालक की अंतिम प्रगति रिपोर्ट (संलग्न की जाए, कृपया भाग-ख देखें)
5. बालक की पुनर्वास तथा पुन स्थापन की योजना (बालक की प्रगति रिपोर्टों के संदर्भ में तैयार की जाए)

क्र.सं.	श्रेणी	बालक के पुनर्वास तथा प्रत्यावर्तन की योजना
1.	देखरेख तथा संरक्षण से बालक की प्रत्याशा	
2.	स्वास्थ्य तथा पोषण जरूरतें	
3.	भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहायक जरूरतें	
4.	शैक्षिक तथा प्रशिक्षण जरूरतें	
5.	फुरसत, सृजनात्मक तथा खेल	

10. सामाजिक मुख्य धारा के प्रति प्रयास/इसके बारे में बालककी राय/विचार

11. पहचान पत्र तथा प्रतिकर

[अनुदेश : कृपया वास्तविक दस्तावेज़ों के साथ सत्यापन करें]

पहचान पत्र	वर्तमान स्थिति (कृपया जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाए)		की गई कार्रवाई
	हां	नहीं	
जन्म प्रमाण पत्र			
स्कूल प्रमाण पत्र			
जाति प्रमाण पत्र			
बी.पी.एल. कार्ड			
विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रतिरक्षण कार्ड			
राशन कार्ड			
आधार कार्ड			
सरकार से प्रतिकर प्राप्त हुआ			

परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/ मामला कार्यकर्ता के हस्ताक्षर
मुहर तथा सील जहां उपलब्ध हो